न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–6/ विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट) लखीमपुर–खीरी।

<u>दाण्डिक वाद सं०–33/2007</u>

उ०प्र० राज्य बनाम मोअज़्ज़म आदि।

मु०अ०सं०–488/2006
धारा–2/3 यू०पी० गैगेस्टर एक्ट
थाना–भीरा,
जिला–लखीमपुर–खीरी।

<u>दिनांक 09–06–2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण मोअज़्ज़म व छेद्दू की ओर से उपस्थित कोई नहीं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अंतर्गत धारा–299 दं०प्र०सं० नियत है। अभियोजन की ओर से आदेश पत्र पर पृष्ठांकन किया गया है कि, अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य कराया जाना न्यायोचित होगा। वाद की कार्यवाही धारा–299 दं०प्र०सं० में अग्रसारित की जा चुकी है। अतः प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि वाद को लम्बित न रखते हुए धारा 299 दं०प्र०सं० में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये तथा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया जाए। पत्रावली अंतर्गत धारा–299 दं०प्र०सं० निम्नलिखित शर्तों के अधीन दाखिल अभिलेखागार की जाय–

1. अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया जाय।
2. पत्रावली पर लाल इंक से यह अंकित किया जाए कि यह पत्रावली धारा–299 दं०प्र०सं० में दाखिल अभिलेखागार की जाए तथा इसे नष्ट न की जाय।
3. आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर–खीरी तथा सम्बंधित थाने के एस०एच०ओ० को प्रेषित की जाए।
4. सम्बंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय द्वारा जारी स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट पर अभियुक्तगण की तलाश जारी रखे तथा मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.09 17:09:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court